प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001
Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

26 सितंबर 2025

आरबीआई ने भारतीय रिज़र्व बैंक (राज्य/ केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा गैर-एसएलआर लिखतों में निवेश) निदेश, 2025 जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज भारतीय रिज़र्व बैंक (राज्य/ केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा गैर-एसएलआर लिखतों में निवेश) निदेश, 2025 जारी किए हैं।

2. रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 2025 में राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए एक साझा सेवा इकाई (एसएसई) की स्थापना के लिए नाबार्ड के प्रस्ताव को विनियामकीय अनुमोदन प्रदान कर दिया है, जिसके अंतर्गत यह परिकल्पना की गई है कि राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक स्वैच्छिक आधार पर एसएसई की शेयर पूंजी में अभिदान कर सकते हैं। इस संदर्भ में, 14 जुलाई 2016 के परिपत्र द्वारा जारी राज्य सहकारी बैंकों /केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा गैर-एसएलआर लिखतों में निवेश संबंधी मौजूदा अनुदेशों में उचित संशोधन किया जा रहा है।

3. इन निदेशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, एसएसई की पूंजी में निवेश के संबंध में निम्नलिखित शामिल किए गए हैं:

क. एसएसई की पूंजी को स्वीकार्य गैर-एसएलआर लिखत के रूप में शामिल करना
ख. विवेकपूर्ण सीमाओं से छूट
ग. एक्सपोज़र सीमा निर्दिष्ट करना

4. ये निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(पुनीत पंचोली)
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/1180